

11 फरवरी, 2010 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली
अनुमोदन बोर्ड की 38वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 38.1: विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि का कब्जा	एसजी आर*	आवेदन की स्थिति
i.	आजोन एसईजेड डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	चिकबल्लापुरा, कर्नाटक	फार्मा	100	नहीं	हां	नया अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.1(i)
(ii)	स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड	बार्गुर, उथानगरई और पोचमपल्ली तालुक, कृष्णागिरि जिला, तमिलनाडु	ग्रेनाइट प्रसंस्करण उद्योग तथा अन्य संबद्ध मशीनरी / विनिर्माण उद्योग	153.83	हां	हां	नया अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.1(ii)
iii	चोगुल पोर्ट एंड इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	गांव संडे लवगान, जयगढ़ के पास, जिला रत्नगिरि, महाराष्ट्र	पोर्ट आधारित इंजीनियरिंग	120	आंशिक रूप से (67 हेक्टेयर)	हां	नया
iv	अर्शिया इंटरनेशनल लिमिटेड	गांव बोरी, तालुक एवं जिला नागपुर, महाराष्ट्र	एफटीडब्ल्यूजेड	43.26	हां	हां	नया
v.	स्मार्ट वर्ल्ड सिटी इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स सेंट जॉन ग्लोबल इंडस्ट्रियल पार्क प्राइवेट लिमिटेड)	तूतीकोरीन, तिरुनवेली जिला, तमिलनाडु	बहु उत्पाद	1000	नहीं	हां	2 जनवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि एसजीआर* प्राप्त नहीं हुआ था। अब एसजीआर प्राप्त हो गया है। इस बीच विकासक ने कंपनी का नाम

							बदल लिया है और नए नाम में प्रस्ताव (अनुबंध 1) पर विचार करने के लिए अनुरोध किया है।
vi.	प्लास्टीन इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	भंदाई, मेगापार कुंजीसर, भचाऊ, कच्छ जिला, गुजरात	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	100	नहीं	हां	नया
vii.	ब्लूस्टार रियल्टर्स (प्राइवेट) लिमिटेड	कालामासरी, कोच्चि, केरल	सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी)	28.32	हां	हां	नया
VIII.	जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह न्यास	नवी मुंबई मुंबई, महाराष्ट्र	पत्तन आधारित बहु उत्पाद एसईजेड	277 (तकरीबन)	हां	नहीं	नया

राज्य सरकार की सिफारिश

मद संख्या 38.2: सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक	स्थान	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अभ्युक्तियां
(i)	कृष्णापट्टनम इनफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	चिल्लाकुर मंडल, नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश	बहु उत्पाद	1023	2 जून, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 18 जून, 2009 को एलओए जारी किया गया था। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की है।
(ii)	स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड	टीवी पुरम, तूतीकोरीन, तमिलनाडु	तांबा	128	15 दिसंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 197 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के लिए विकासक को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। अब विकासक ने 128 हेक्टेयर के क्षेत्रफल पर औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है (अनुबंध 2)। राज्य सरकार से अभी तक सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या 37.3: सह विकासकों के लिए अनुरोध

(i) पाजीरू, कैरांगलस, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.1(i)]

पाजीरू, कैरांगलस, मंगलौर, कर्नाटक में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 65.571 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 24 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स लीला लेस होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 6.88 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस अवसंरचना प्रदान करने के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 9 नवंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(ii) कोकापेट गांव, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स सी-बे इंफोटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.1(ii)]

कोकापेट गांव, राजेंद्रनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए मैसर्स हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा 47.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 13 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स सी-बे इंफोटेक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 2.598 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सह विकासक करार उपलब्ध नहीं कराया गया है। 24 सूत्रीय जांच सूची (विधिवत रूप से भरी हुई) तथा पिछले 3 वर्षों के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित तुलन पत्र की प्रतियां भी प्रदान नहीं की गई हैं। तथापि, सह विकासक से इसे प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उपर्युक्त करार / दस्तावेजों की प्राप्ति के अधीन सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) भडूच गुजरात में मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड का अनुरोध [अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.1(iii)]

मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड द्वारा भडूच गुजरात में बहु उत्पाद एसईजेड 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 दिसंबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए सह विकासक के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 30 सितंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स डॉ. फ्रेश हेल्थ एसईजेड फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डा. फ्रेश हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 23.429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 17 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स डा. फ्रेश एसईजेड फेज 1 प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड के 1.16 हेक्टेयर के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 10 दिसंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा कलवारा गांव, सांगनेर तहसील, जयपुर जिला, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफिनिटी जयपुर नालेज सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा 76.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जिला जयपुर, राजस्थान में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 10 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 27 मार्च 2008 को 78.92 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल भी अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 155.02 हेक्टेयर हो गया। मैसर्स इनफिनिटी जयपुर नालेज सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड में प्रासंगिक यूटिलिटीज तथा कार पार्किंग के लिए 3 भवनों तथा बेसमेंट के अतिरिक्त क्षेत्र में फैले 3.85 लाख वर्ग फीट के सुपर स्ट्रक्चर एरिया का विकास, प्रचालन एवं अनुरक्षण करने के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 30 दिसंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(vi) मैसर्स मंगलौर एसईजेड लिमिटेड बैकमपेडी, मंगलौर के पास, दक्षिण कन्नड़ जिला, कर्नाटक में फार्मास्युटिकल तथा पेट्रोलियम के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए इंडियन स्टेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (आईएसपीआरएल) का अनुरोध

587.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 6 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इंडियन स्टेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड ने विकासक द्वारा एफटीडब्ल्यूजेड के प्रयोजनार्थ चिह्नित कुल भूमि में से 100 एकड़ की भूमि में उक्त एमएसईजेड के अंदर 1.50 मिलियन मीट्रिक टन के रणनीतिक क्रूड ऑयल भंडारण की स्थापना के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 18 नवंबर 2009 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(vii) मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा पल्लीपुरम गांव, चेरटाला तालुक, अलप्पुझा जिला, केरल में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स इनफो पार्क्स केरल का अनुरोध

मैसर्स केरल स्टेट इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा चेरटाला तालुक, केरल में 24.5313 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को 8 जून, 2009 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स इन्फोपार्क केरल ने उक्त एसईजेड में 3.6423 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में संगत सुविधाओं के साथ आईटी अवसंरचना के विकास के लिए सह विकासक के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक और सह विकासक के बीच सह विकासक करार दिनांक 11 जनवरी 2010 उपलब्ध कराया गया है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ पुनः प्रस्तुत है।

(viii) मैसर्स मुंद्रा पोर्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा मुंद्रा, कच्छ जिला, गुजरात में विकसित बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक के रूप में मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उक्त बहु उत्पाद एसईजेड 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड ने 16.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा मालगोदाम की सुविधाओं के विकास एवं प्रचालन के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। प्रस्ताव पर 23 फरवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। बैठक का कार्यवृत्त नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड ने कंटेनर फ्रेट स्टेशन तथा वेयर हाउसिंग की सुविधाओं के विकास एवं प्रचालन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने एमपीएसईजेड में पहले से मौजूद 9 प्रचालनरत सीएफएस की ओर ध्यान आकृष्ट किया। एक अतिरिक्त सीएफएस के औचित्य की और जांच करने की आवश्यकता है क्योंकि सीएफएस मुख्य रूप से डीटीए आयातकों / निर्यातकों की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। यह महसूस किया गया कि विलयित एसईजेड के लिए नई अधिसूचना के जारी हो जाने के बाद अतिरिक्त सीएफएस की आवश्यकता की जांच की जा सकती है। तदनुसार बोर्ड ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का निर्णय लिया।"

उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने के बाद मामले को 11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 35वीं बैठक के एजेंडा में एक बार पुनः शामिल किया गया था। विकासक द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त सीएफएस की आवश्यकता पर संक्षिप्त विवरण भी एजेंडा के साथ अद्योषित किया गया (अनुबंध 3)। तथापि, अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुरोध पर विचार नहीं किया गया क्योंकि मैसर्स हिंद टर्मिनल्स (मुंद्रा) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उसे वापस ले लिया गया। अब कंपनी ने यह कहते हुए अपने अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध किया है कि अपेक्षित आधारभूत सुविधाएं जो कंटेनर

फ्रेट स्टेशन तथा मालगोदाम की सुविधाओं के प्रचालन के लिए अनिवार्य हैं, विकसित की जाएंगी। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ix) मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज का अनुरोध

मैसर्स कार्ले इनफ्रा प्रोजेक्ट द्वारा नगवाड़ा गांव, उत्तर बंगलौर तालुक, कर्नाटक में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.876 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 12 दिसंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स कार्ले ओ एंड एम सर्विसेज ने संपूर्ण एसईजेड में प्रचालन एवं अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। 23 फरवरी 2009 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया और उसे आस्थगित कर दिया गया क्योंकि यह नोट किया गया कि प्रस्तावित सह विकासक किसी अवसंरचना का विकास नहीं कर रहा है अपितु संपूर्ण एसईजेड के लिए केवल प्रचालन एवं अनुरक्षण सेवाएं प्रदान करेगा। यह नोट किया गया कि सह विकासक के रूप में आने की बजाय आवेदक को यूनिट के रूप में आना चाहिए। 19 जून 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में भी इस अनुरोध पर विचार किया गया था क्योंकि सह विकासक ने सह विकासक करार में शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड की इस बैठक में भी प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया गया तथा आवेदक को केवल अवसंरचना के संबंध में व्यापक संशोधित सह विकासक करार प्रस्तुत करने का निदेशा दिया गया, जिस पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा बाद में विचार किया जा सकता है। मैसर्स कार्ले ओएंडएम सर्विसेज ने यह कहते हुए अपने अनुरोध पर विचार करने के लिए एक बार पुनः अनुरोध (अनुबंध 4) किया है कि सह विकासक रूप में कंपनी एसईजेड के अंदर अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करेंगी तथा उन्होंने यह भी कहा है कि एसईजेड नियमावली 2006 के नियम 2 (एस) और नियम 6 के तहत यथापरिभाषित अवसंरचना में एसईजेड के प्रचालन एवं अनुरक्षण की सुविधाएं शामिल हैं। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.4: अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) मैसर्स एनएसएल एससईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईडीए उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध [अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.4(i)]

उपर्युक्त एसईजेड 18 मई 2007 को 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। उप्पल औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को 8 अगस्त, 2007 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। सह विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	सर्विस अपार्टमेंट 300 यूनिटें	20,000
2.	व्यवसाय केन्द्र	5000

3.	रिटेल	27,000
4.	फूड कोर्ट	10,000
5.	वाणिज्यिक	22,000
6.	पार्क के साथ मनोरंजन क्षेत्र, स्नैक्स कियोस्क, क्लब, मल्टी स्पेशियलिटी जिम, इंडोर और आउटडोर मल्टी मीडिया स्क्रीनिंग की सुविधाएं आदि	25,000

(ii) सिरुसेरी और एगाट्टूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध [अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.2(ii)]

मैसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 28.53 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सिरुसेरी और एगाट्टूर, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 17 जुलाई, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	एटीएम सेवाएं	---

(iii) रणस्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल इनव्हेस्टिमेंट्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेटरीज का अनुरोध [अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.2(iii)]

मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेटरी लिमिटेड द्वारा 100.37 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में राणास्थलम मंडल, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 नवंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल
	सृजित किए जाने के लिए प्रस्तावित विभिन्न सामान्य सुविधाओं के लिए सिविल संरचनाएं	
1	संपर्क सेतु का निर्माण	60 मीटर लंबा तथा 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल
2	सेतु पर जाने के लिए संपर्क सड़क	500 मीटर लंबा तथा 3500 वर्गमीटर क्षेत्रफल
3	एसईजेड की इंजीनियरिंग अनुरक्षण बिल्डिंग	432 वर्गमीटर
4	100 कामगारों के लिए कैंटीन बिल्डिंग	288 वर्गमीटर
5	200 कर्मचारियों / स्टाफ के लिए कैंटीन बिल्डिंग	800 वर्गमीटर
6	वाच टावर्स	4
7	सेवा ठेकेदारों तथा चालकों के लिए विश्राम कक्ष	90 वर्गमीटर
8	प्रशासनिक भवन जिसमें ओएचसी, क्रेच शामिल हैं	1000 वर्गमीटर
9	क्यू सी ब्लॉक	360 वर्गमीटर

10	एम्बुलेंस पार्किंग शेड	60 वर्गमीटर
11	बॉयलर, डीजी सेट, हॉट ऑयल यूनिट, कंप्रेसर, चिल्ड वाटर, चिल्ड ब्राइन, एयर कंप्रेसर एंड इंस्ट्रूमेंट एयर, ब्रीदिंग एयर, नाइट्रोजन प्लांट के लिए यूटिलिटी बिल्डिंग	1200 वर्गमीटर
12	लाइनों के संचालन के लिए सामान्य आरसीसी पाइप रैक	3.5 किमी की लंबाई के साथ 3000 वर्गमीटर का कवरिंग एरिया
13	सेंट्रल वेयरहाउस बिल्डिंग	3000 वर्गमीटर
14	साझा उपकरण यार्ड	1500 वर्गमीटर
	एपीआई के विनिर्माण के लिए अपेक्षित सुविधाएं जो सिविल आवश्यकताएं एवं क्षमताएं तथा अपेक्षित उपकरण / इंस्ट्रूमेंट प्रदान करती हैं	
15	साझा प्रोसेस क्लिंग टावर	3000 टीआर 200000 वर्गमीटर
16	एसआरपी क्लिंग टावर	350000 वर्गमीटर
17	सीसीओई टैंक फार्म, गैर सीसीओई टैंक फार्म तथा एफओ, डीजल एवं बायो डीजल भंडारण टैंक केमिकल बल्क स्टोरेज टैंक फार्म, केमिकल ड्रम स्टोरेज, फ्रेश सोल्यूशन / केमिकल ड्रम स्टोरेज, हानिकर ड्रम स्टोरेज टैंक और सिलिंडर स्टोरेज, ड्रम डिटाकसीफिकेशन एरिया	4+8+2+1 456 वर्गमीटर 1277 वर्गमीटर
18	सॉलिड फ्यूल फायर्ड बॉयलर के माध्यम से स्टीम का उत्पादन एवं वितरण	10 टन प्रति घंटा 1
19	एफओ बन्ड बॉयलर के माध्यम से स्टीम का उत्पादन एवं वितरण	10 टन प्रति घंटा 1
20	चिल्ड ब्राइन सिस्टम चिल्ड वाटर सिस्टम	200 टीआर - 1 400 टीआर - 1
21	कंप्रेस्ड एयर का उत्पादन एवं वितरण	350 सामान्य घनमीटर प्रति घंटा
22	कॉमन ब्रीदिंग एयर यूनिट	100 सीएफएम
23	तोल सेतु उपलब्ध कराना	100 टन
24	लांड्री की सुविधा	100 वर्गमीटर

(iv) मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड द्वारा जयपुर, राजस्थान में विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स इनफोसिस बीपीओ लिमिटेड का अनुरोध [अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के लिए प्रक एजेंडा की मद संख्या 37.1(iv)]

उपर्युक्त एसईजेड 10 अप्रैल 2007 को 76.10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 27 मार्च 2008 को 78.92 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 155.02 हेक्टेयर हो गया। जयपुर, राजस्थान में मैसर्स इनफोसिस

बीपीओ लिमिटेड को एलओए दिनांक 14 अगस्त, 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। सह विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	एटीएम का संस्थापन	10

(v) चेन्नई, तमिलनाडु में मैसर्स डीएलएफ इनफो सिटी डवलपर्स (चेन्नई) लिमिटेड द्वारा विकसित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में सह विकासक के रूप में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 16 नवंबर 2006 को 13.2923 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, 2 दिसंबर, 2008 को 0.6983 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल अधिसूचित क्षेत्रफल 13.9906 हेक्टेयर हो गया। मैसर्स डीएलएफ एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 14 फरवरी, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक के रूप में अनुमोदित किया गया है। अपने कर्मचारियों को अपने कैंपस के अंदर बैंकिंग की सुविधाएं प्रदान करने के लिए सह विकासक ने निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	बैंकर्स एटीएम सेवाएं	-

तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क लिमिटेड द्वारा तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.24.225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 जनवरी 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1	होटल (300 कमरे) सहित इंटीग्रेटेड कंवेन्शन सेंटर (1500 सीटर)	28126

उल्लेखनीय है कि मैसर्स ट्रिल इनफोपार्क ने अपने पत्र दिनांक 30 जनवरी 2009 के माध्यम से उपर्युक्त एक अधिकृत प्रचालन सहित कुछ अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया था। 23 फरवरी, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुरोध पर विचार किया गया था। हालांकि अनुमोदन बोर्ड विकासक द्वारा अनुरोध किए गए अधिकांश अधिकृत प्रचालनों से सहमत था परंतु यह होटल सहित इंटीग्रेटेड कनवेन्शन सेंटर के लिए सहमत नहीं था। 1500 सीट वाले इंटीग्रेटेड कनवेन्शन सेंटर के लिए विकासक का अनुरोध 2 जून 2009 को आयोजित बैठक में पुनर्विचार के लिए अनुमोदन

बोर्ड के समक्ष एक बार पुनः प्रस्तुत किया गया था। तथापि अनुमोदन बोर्ड द्वारा इसे पुनः अस्वीकार कर दिया गया। विकासक ने 4200 वर्गमीटर के क्षेत्रफल में कनवेंशन सेंटर के लिए एक बार पुनः अनुरोध किया था। 5 नवंबर 2009 को भी अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया तथा मंजूरी प्रदान नहीं की गई।

विकासक ने उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए यह कहते हुए एक बार पुनः मंजूरी प्रदान करने की मांग की है कि तमिलनाडु सरकार ने होटल, कनवेंशन सेंटर तथा आईटी कार्यालय विकसित करने के विशिष्ट प्रयोजन के लिए टिडको के पक्ष में भूखंड को अलग कर दिया था। यह भी बताया गया है कि कनवेंशन सेंटर के साथ होटल को शामिल करने से अंतर्राष्ट्रीय कनवेंशन को आकर्षित करने में मदद मिलेगी क्योंकि ऐसी सुविधाओं के अभाव के कारण ये भारत में आयोजित नहीं हो पाते हैं। यह भी बताया गया है कि 3.2 मिलियन वर्ग फीट के आईटी कार्यालय परिसर का प्रयोग विभिन्न कंपनियों का प्रचालन करने वाले 30000-35000 लोगों द्वारा किया जाएगा। चूंकि 5 किलोमीटर की परिधि के अंदर कनवेंशन सेंटर तथा उनके कनवेंशन के लिए 5 स्टार लज्जरी होटल की कोई उपयुक्त सुविधा नहीं है इसलिए उनको किसी दूरस्थ स्थान पर जाना पड़ता है जिससे न केवल असुविधा होती है अपितु शहर की अवसंरचना पर दबाव भी बनता है। विकासक का अनुरोध अनुबंध 5 के रूप में संलग्न है।

(vii) गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी फिनिक्स इनफोपार्क प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

गचिबाउली गांव, सेरींगमपल्ली मंडल, आंध्र प्रदेश में लगभग 10 हेक्टेयर (25.68 एकड़) के क्षेत्रफल में मैसर्स एलएंडटी इन्फोपार्क्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 11 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)
	I. रहने की सुविधाएं	
1.	आवासीय अपार्टमेंट तथा सर्विस अपार्टमेंट (1000 यूनिटें) - 4 ब्लॉक में - चरणवार	1 मिलियन
2.	होटल के कमरे	1 लाख
3.	क्लब हाउस	50,000
	II. स्वास्थ्य देखरेख की सुविधाएं	
1.	सामान्य कंसल्टेंसी	25,000
2.	बिस्तरों की संख्या (इसमें सभी विभाग शामिल हैं)	250-75,000 वर्ग फीट 300 वर्ग फीट प्रति बिस्तर
3.	डायग्नोस्टिक सेंटर	25,000
4.	स्कैनिंग और रेडियोलॉजी	10000

5.	चिकित्सा एवं गैर चिकित्सा स्टाफ के लिए होटल	25000
6.	फार्मसी	2500
7.	बाह्य रोगी वार्ड	10000
8.	ऑपरेशन थिएटर - 4 बड़े + 2 छोटे	20000
4.	अस्पताल एवं सहायक सेवाएं	2 लाख
III. गैर आईटी कार्यालय स्थान		
5.	बैंक, सेवा कार्यालय, आईटी प्रशिक्षण केन्द्र, कियोस्क, कंप्यूटर हार्डवेयर शोरूम, साफ्टवेयर प्रशिक्षण केन्द्र, आईटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम कॉलेज तथा सभी अन्य सहायक सेवा कार्यालय	2 लाख
IV. मनोरंजन की सुविधाएं		
6.	रिटेल	20,000
7.	मनोरंजन	10,000

तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सीसीसीएल इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तूतीकोरीन जिला, तमिलनाडु में खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड 179.145 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 23 अप्रैल 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	भवन क्षेत्र वर्ग मीटर में
1.	पैकेजिंग सेंटर	10000
2.	ईंधन / डीजल पंप	500

5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 36वीं बैठक में पैकेजिंग सेंटर के लिए अनुरोध पर विचार किया गया था तथा अतिरिक्त ब्यौरों के अभाव में आस्थगित कर दिया गया था। कंपनी ने अब स्पष्ट किया है कि पैकेजिंग सुविधा यूनिटों के लिए साझी सुविधा के रूप में प्रस्तवित है। अनुमोदन बोर्ड की उसी बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विजिटर / ट्रक फ्यूल स्टेशन के लिए विकासक के अनुरोध पर भी विचार किया गया था तथा मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी। अब विकासक ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने गलती से फ्यूल स्टेशन शब्द का प्रयोग किया था तथा वास्तव में उनको डीजल डंप की आवश्यकता है जिसे एसपीवी के रूप में या सीधे देश में किसी अधिकृत ईंधन आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुरक्षित एवं प्रचालित किया जाएगा। यह नितांत आवश्यक है क्योंकि अनेक यूनिटों को बॉयलर, स्टीम उत्पादन, बैकअप पावर आदि के लिए अपने प्रमुख अधिकृत प्रचालनों के लिए डीजल, फर्नेस ऑयल, गैस आदि जैसे ईंधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रयोग के लिए नियमित रूप में "ईंधन / डीजल डंप", न कि "ईंधन स्टेशन" के रूप में अपने अनुरोध को संशोधित किया है। विकासक द्वारा अनुरोध किए गए दोनों अधिकृत प्रचालनों की विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा सिफारिश की गई है।

(ix) कीराथम गांव, कोयंबदूर (उत्तर) तालुक, कोयंबदूर जिला, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स कोयंबदूर हाइटेक इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

कोयंबदूर जिला, तमिलनाडु में 34.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 9 नवंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 17 सितंबर 2007 और 28 अप्रैल 2008 को क्रमशः 12.66 तथा 3.93.5 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल भी अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 51.255 हेक्टेयर हो गया है। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	कर्मचारी कल्याण की सुविधाएं जैसे कि स्वचालित टेलर मशीन तथा बैंकिंग की सुविधाएं	10,000
2.	व्यवसाय और सम्मेलन केन्द्र	5,000
3.	स्कूल / शैक्षिक संस्थाएं	1,000
4.	अतिथि गृह (प्रत्येक 40 वर्गमीटर की 25 यूनिटें)	1,000

(x) कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 317.715.225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 4 दिसंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल
1.	शिप उठाने की सुविधा	86,697 वर्ग मीटर
2.	तरंग रोध	3.5 किलोमीटर लंबाई
3.	स्थल निर्माण एवं भूमि उद्धार	
	क) भूमि उद्धार	7 मिलियन घन मीटर
	ख) तलमार्जन	8.25 मिलियन घन मीटर
4.	फैक्ट्री शेड	52,978 वर्गमीटर
5.	निम्नलिखित को शामिल करने के लिए भवनों का निर्माण :	20,407 वर्गमीटर
	क) स्टाफ / मजदूर कैंटीन - 3500 वर्गमीटर	
	ख) प्रशासनिक ब्लॉक - 3000 वर्गमीटर	
	ग) चिकित्सा केंद्र - 400 वर्गमीटर	
	घ) सुरक्षा - 225 वर्ग मीटर	
	ङ) गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला - 360 वर्ग मीटर	
	च) फायर स्टेशन - 300 वर्गमीटर	
	छ) इलेक्ट्रिकल शॉप / अन्य सब स्टेशन तथा सीवेज	

	ट्रीटमेंट प्लांट - 12622 वर्गमीटर	
6.	यूटिलिटीज	
	क) ऑयल वेस्ट लिक्विड डिस्पोजल सिस्टम	30,000 वर्गमीटर
	ख) रेल संपर्क	
	ग) प्रदूषण नियंत्रण की सुविधाएं	
	घ) आवास (लगभग 100 मकान)	
	ड) कान्फ्रेंस हाल	
	च) तुला ब्रिज	
7.	ओपन स्टोरेज यार्ड	
	क) तुला ब्रिज क्षेत्र	10,425 वर्गमीटर
	ख) प्लेट स्टक यार्ड	
	ग) स्क्रेप यार्ड	
	घ) कार पार्किंग एरिया	
	ड) ठेकेदार क्षेत्र	
	च) ट्रांसपार्टर पार्किंग एरिया	
	छ) एंकर चेन केबल टेस्टिंग बे	
	ज) ट्रंकिंग का भंडारण	
8.	सीपीसीएल / सीडब्ल्यूडीएल की सुविधा के स्थान में परिवर्तन	1500 मीटर को हटाना तथा स्थान में परिवर्तन करना

विकासक ने अनुबंध 6 के अनुसार अनुमोदन के लिए अधिकृत प्रचालनों के लिए अपेक्षित आयातित पूंजी माल की सूची संलग्न की है।

(xi) गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स मायर इनफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 12.4928 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 9 सितंबर 2008 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद उक्त एसईजेड में 2.59 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि शामिल करने के लिए 5 नवंबर 2009 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा विकासक को मंजूरी प्रदान की गई थी। इसे भी अधिसूचित किया गया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 15.0877 हेक्टेयर हो गया है। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
1.	होटल (100 कमरे + 50 सुइट)	37000

अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक में भी उपर्युक्त अनुरोध पर विचार किया गया था तथा मंजूरी प्रदान नहीं की गई थी। विकासक ने एक बार पुनः उपर्युक्त अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है तथा इसके लिए विस्तृत औचित्य प्रस्तुत किया है (अनुबंध 7)। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(xii) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस एसईजेड 10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 13 अप्रैल 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध किया है :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	वाणिज्यिक कंप्लेक्स / कार्यालय स्थान	32000

उक्त अनुरोध 15 दिसंबर, 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में भी सूचीबद्ध था। तथापि, केवल 15000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक ने 15000 वर्गमीटर के स्थान पर 32000 वर्गमीटर के क्षेत्रफल को अनुमोदित करने के लिए विस्तृत औचित्य प्रदान किया है। विकासक का अनुरोध अनुबंध 8 के रूप में संलग्न है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.5 : आईडीए उच्च औद्योगिक विकास क्षेत्र, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के अनुमोदन को अभ्यर्पित करने के लिए मैसर्स एनएसएल एसईजेड (हैदराबाद) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 18 मई 2007 को 14.50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक को गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत प्रचालनों के लिए 1 अगस्त 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई थी तथा यह शर्त रखी गई थी कि सुविधाएं केवल एसईजेड के कर्मचारियों के प्रयोग के लिए होंगी :

क्र. सं.	अधिकृत प्रचालन	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	आवासीय अपार्टमेंट	200000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में 1250 यूनिटें
2.	सर्विस अपार्टमेंट	15000 वर्गमीटर के कुल क्षेत्रफल में 250 यूनिटें
3.	व्यवसाय केन्द्र	5000
4.	रिटेल	10000
5.	क्लब जिम आदि	5000
6.	फूड कोर्ट	5000
7.	वाणिज्यिक	5000
8.	मनोरंजन (पार्क आदि)	10000 (केवल खुला स्थान। कोई मल्टीप्लेक्स अनुमत नहीं है)

विकासक ने कहा है कि मैसर्स टॉपनोच प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जो एसईजेड में अनुमोदित सह विकासक है, को उपर्युक्त अनुमोदित अवसंरचना (आवासीय अपार्टमेंट को छोड़कर) का विकास करना है और यह कि अन्य अधिकृत प्रचालनों के लिए गलती से मंजूरी प्राप्त की गई। विकासक ने यह भी बताया है कि सह विकासक इसके साथ ही उपर्युक्त अधिकृत गतिविधियों (आवासीय अपार्टमेंट को छोड़कर) का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल कर रहा है। उल्लेखनीय है कि अधिकृत प्रचालनों के लिए सह विकासक का अनुरोध मद संख्या 38.4(i) के तहत इस एजेंडा में सूचीबद्ध किया गया है।

विकासक ने यह भी बताया है कि केवल एसईजेड के कर्मचारियों के लिए प्रयोग की शर्त को पूरा करने में कुछ समस्याएं / सरोकार हैं क्योंकि आवासीय अपार्टमेंट का प्रयोग एसईजेड के कर्मचारियों तथा उनके रिश्तेदारों, अतिथियों तथा तीसरे पक्षों द्वारा भी किया जाएगा और ऐसे लोग एसईजेड के कर्मचारी नहीं होंगे। इसके अलावा गैर प्रसंस्करण क्षेत्र गैर बांडेड एरिया है जहां कर्मचारियों से भिन्न बाहरी व्यक्ति अक्सर आते हैं और प्रयोग करते हैं तथा इस बात पर नजर रखना अव्यावहारिक एवं असंभव होगा कि आवासीय अपार्टमेंट का प्रयोग केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर विकासक ने निम्नलिखित के लिए अनुरोध है :

क) आवासीय अपार्टमेंट को छोड़कर अधिकृत प्रचालनों के लिए उपर्युक्त अनुमोदन को अभ्यर्पित करना; और

ख) केवल एसईजेड के कर्मचारियों द्वारा आवासीय अपार्टमेंट के प्रयोग की शर्त में ढील देना।
विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.6: औपचारिक अनुमोदनों की पहली बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड की पिछली बैठकों में 105 मामलों को एक साल के लिए समय विस्तार पहले ही प्रदान किया जा चुका है। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित 9 मामले प्राप्त हुए हैं। एक साल के लिए अवधि बढ़ाने हेतु ये मामले भी अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

(i) शेंद्रे औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद जिला, आंध्र प्रदेश में फार्मास्युटिकल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 2 नवंबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स वोकहार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट लिमिटेड का अनुरोध

(ii) भिवंडी, अलवर जिला, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अगस्त, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सोमानी वर्स्टेड लिमिटेड का अनुरोध

(iii) सिकिनानकुप्पम, चेरूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(iv) सिकिनानकुप्पम, चेरूर तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में आटो एंसिलरीज सहित इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(v) रजोदा गांव, अहमदाबाद जिला, गुजरात में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 22 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स एनजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(vi) दिधी पोर्ट, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में एफटीडब्ल्यूजेड सहित बहु उत्पाद के लिए एसईजेड आधारित बंदरगाह स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 अक्टूबर 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स बालाजी इनफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का अनुरोध

(vii) ओगनज गांव, दसक्रोई तालुक, अहमदाबादजिला, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 5 नवंबर, 2009 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कैलिका कंस्टक्शन एंड इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

(viii) गांधीधाम का कांडला एवं पूना क्षेत्र, जिला भुज, गुजरात में बहुत उत्पादक आधारित एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 6 मई, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कांडला पोर्ट ट्रस्ट का अनुरोध

(ix) रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 15 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स संघी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मद संख्या 38.7: औपचारिक अनुमोदनों की दूसरी बार वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) कांचीपुरम जिला, चेन्नई, तमिलनाडु में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 8 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सिंटेल् इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 09 जून, 2006 के माध्यम से 11 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 11.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 8 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि इस समय वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवा उद्योग जिससे सिंटेल् ग्रुप ज्यादातर संबंधित है, में मंदी का दौर चल रहा है और इसलिए एसईजेड का विकास बाधित हुआ। इसके अलावा

आर्थिक मंदी, वैश्विक मांग में कमी तथा ग्राहकों द्वारा लागत में कटौती करने की पहल के कारण वैश्विक स्तर पर ग्राहकों के साथ संविदा को अंतिम रूप देने के चक्र लंबे हो गए हैं। विकासक ने परियोजनाओं की भौतिक प्रगति का ब्यौरा तथा चरणवार कार्यान्वयन योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के अनुसार चरण 1 अगस्त 2010 तक, चरण 2 सितंबर 2012 तक और तीसरा चरण दिसंबर 2014 तक पूरा हो जाएगा। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुनः बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) हाइटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 20 जून, 2010 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 21 जून, 2006 के माध्यम से 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 सितंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 20 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक मंदी तथा विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में मंदी के कारण अवसंरचना विस्तार योजनाओं पर धीमी गति से कार्य करने का निर्णय लिया है तथा कंपनी विस्तार योजनाओं को उपर्युक्त ढंग से संशोधित करने के लिए विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में है। विकासक ने यह भी कहा है कि चरण 1 की निर्माण गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं जिसमें 78 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 241064 वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र है तथा चरण 2 की गतिविधियां प्रगति पर हैं और सितंबर 2010 तक पूरी हो जाने की उम्मीद है। विकासक ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष के अंत तक निर्यात शुरू होने की संभावना है। इसलिए विकासक ने अगले एक साल की अवधि के लिए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) थोटलाकोंडा, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 15 जून, 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 16 जून, 2006 के माध्यम से 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 1 जून, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया था जो 15 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए दूसरी बार समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वैश्विक आर्थिक मंदी तथा विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में मंदी के कारण अवसंरचना विस्तार योजनाओं पर धीमी गति से कार्य करने का निर्णय लिया है तथा वे अपनी विस्तार योजनाओं को उपर्युक्त ढंग से संशोधित करने के लिए विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में हैं। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) बहादुरपल्ली गांव, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस एसईजेड स्थापित करने के लिए 19 जून 2010 के बाद औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 20 जून, 2006 के माध्यम से 10.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 10.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 11 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का पहला विस्तार प्रदान किया गया है जो 19 जून, 2010 तक वैध है। विकासक ने यह कहते हुए दूसरी बार समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है कि वैश्विक आर्थिक मंदी तथा विशेष रूप से आईटी क्षेत्र में मंदी के कारण अवसंरचना विस्तार योजनाओं पर धीमी गति से कार्य करने का निर्णय लिया है तथा वे अपनी विस्तार योजनाओं को उपयुक्त ढंग से संशोधित करने के लिए विश्वव्यापी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने की प्रक्रिया में हैं। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.8: सह विकासकों की वैधता अवधि पहली बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) कांडला एसईजेड, गुजरात में मैसर्स फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित एफटीडब्ल्यूजेड में सह विकासक मैसर्स इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

एलओए दिनांक 15 फरवरी 2007 के माध्यम से मैसर्स इंटीग्रेटेड वेयरहाउसिंग कांडला प्रोजेक्ट डवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड को कांडला एसईजेड में एफटीडब्ल्यूजेड की स्थापना के लिए सह विकासक के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया था। एलओए की सामान्य शर्त संख्या viii के अनुसार, अनुमोदन 3 साल के लिए अर्थात् 14 फरवरी, 2010 तक वैध है। तथापि, एलओए की सामान्य शर्त संख्या xvi के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। सह विकासक ने कहा है कि आर्थिक मंदी के कारण कंपनी परियोजना का कार्यान्वयन / प्रचालन शुरू करने में समर्थ नहीं हुई है। इसलिए सह विकासक ने अगले एक साल की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

(ii) पुथुव्यपीन, कोचीन, केरल में मैसर्स कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा विकसित बंदरगाह आधारित एसईजेड में सह विकासक मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड का एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

एलओए दिनांक 14 फरवरी 2007 के माध्यम से पुथुव्यपीन, कोचीन, केरल में बंदरगाह आधारित एसईजेड में कुछ सुविधाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड को सह विकासक के रूप में मंजूरी प्रदान की गई थी। एलओए की सामान्य शर्त संख्या viii के अनुसार, अनुमोदन 3 साल के लिए अर्थात् 13 फरवरी, 2010 तक वैध है। तथापि, एलओए की सामान्य शर्त संख्या xvi के अनुसार, अनुमोदन बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर वैधता अवधि बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। सह विकासक ने कहा है कि पुथुव्यपीन एसईजेड में जिस क्षमता एवं स्तर की एलएनजी प्राप्त करने तथा पुनः गैसीकरण की सुविधा निर्मित की जा रही है उसे पूरा करने में कार्य

सौंपे जाने की तिथि से सामान्यतया 48 माह लगेंगे। सह विकासक ने यह भी कहा है कि निर्माण की अवधि को न्यूनतम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए सह विकासक ने अगले एक साल की अवधि के लिए एलओए की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है।

मद संख्या 38.9: क्षेत्र परिवर्तित करने / क्षेत्र की ब्राड बैंडिंग के लिए अनुरोध

(i) वालुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में सेक्टर का नाम बदलने / ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड का अनुरोध (अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.3(i))

वालुज, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में मैसर्स बजाज होल्डिंग्स एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 100.26 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड 17 अप्रैल, 2007 को आटोमोबाइल एवं आटोमोबाइल कंपोनेंट सेक्टर के रूप में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 29 सितंबर 2007 को इसे आटोमोबाइल एवं आटोमोबाइल कंपोनेंट से बदलकर इंजीनियरिंग सेक्टर करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई। विकासक ने कहा है कि उन्होंने अपने एसईजेड में पर्याप्त स्थान का अधिग्रहण करने तथा परियोजना शीघ्र शुरू करने के लिए एक रासायनिक कंपनी से पक्की प्रतिबद्धता प्राप्त की है तथा अब वे एंकर यूनिटों में से एक होंगे तथा परियोजना के यथाशीघ्र कार्यान्वयन में मदद करेंगे। अतः विकासक ने अपने वर्तमान इंजीनियरिंग सेक्टर में केमिकल सेक्टर को शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.10: एसईजेड के क्षेत्रफल एवं सेक्टर में परिवर्तन के लिए अनुरोध

(i) फुरसुंगी हवेली गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु सेवा एसईजेड के क्षेत्रफल में कटौती करने तथा सेक्टर का नाम बदलने के लिए मैसर्स डीएसके एसईजेड प्रोजेक्ट्स (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

08 दिसंबर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक की सिफारिशों के आधार पर फुरसुंगी हवेली गांव, जिला पुणे, महाराष्ट्र में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए विकासक को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 27 फरवरी, 2009 को एलओए जारी किया गया था। यह एसईजेड अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। अब विकासक ने अनुरोध करने के कारणों के रूप में समग्र आर्थिक परिदृश्य तथा बड़ी परियोजना की आयोजना में कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए सेक्टर को "बहु सेवा" से बदलकर "आईटी / आईटीईएस" करने के लिए तथा क्षेत्रफल 101.2 हेक्टेयर से घटाकर 17.81 हेक्टेयर करने के लिए भी अनुरोध किया है। क्षेत्रफल में वृद्धि तथा सेक्टर में परिवर्तन के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.11: क्षेत्रफल में वृद्धि / कटौती के लिए अनुरोध

(i) मुंद्रा एवं अंजार तालुक, कच्छ, गुजरात में बहु उत्पन्न एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का अनुरोध (अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के पूरक एजेंडा की मद संख्या 37.6(i))

उक्त बहु उत्पाद एसईजेड 6472.8684 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 2008.41 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 8481.2784 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने कहा है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि पर कंपनी का कब्जा है। विकासक ने कहा है कि अधिसूचना के लिए प्रयुक्त अतिरिक्त क्षेत्रफल पहले से अधिसूचित एसईजेड से सटा हुआ है। विकासक ने एसईजेड का मानचित्र भी प्रदान किया है जिसमें भूमि की प्रस्तावित वृद्धि दर्शाई गई है (अनुबंध 9)। विकास आयुक्त, एमपीएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) डीएलएफ साइबर सिटी, गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि और कटौती के लिए मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

10.73 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने 1.76 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने तथा 2.27 हेक्टेयर भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.22 हेक्टेयर हो जाएगा। विकास आयुक्त, एनएसईजेड की रिपोर्ट भी प्राप्त हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार शामिल किए जाने के लिए प्रस्ताव भूमि खाली पड़ी है, सन्निकट है, भारग्रस्त नहीं है और उस पर विकासक का कब्जा है। रिपोर्ट के अनुसार विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र अभी भी खाली पड़ा है तथा निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ है। विकासक ने यह भी वचन दिया है कि विमुक्त करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र पर कोई इयूटी छूट प्राप्त नहीं की गई है। प्रस्तावित वृद्धि / विमुक्तीकरण के बाद एसईजेड के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होगी। प्रस्तावित वृद्धि / विमुक्तीकरण को दर्शाने वाला मानचित्र अनुबंध 10 के रूप में संलग्न है। एसईजेड के क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) मामिदिपल्ली गांव, सररनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स इंदु टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

सररनगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 60.70 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंदु टेकजोन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने पहले अधिसूचित क्षेत्रफल से 46.54 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का क्षेत्रफल 14.16 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने प्रस्तावित विमुक्तीकरण के कारणों के रूप में वैश्विक आर्थिक स्थितियों तथा आईटी / आईटीईएस स्थान की आवश्यकता के लिए मांग में कमी का उल्लेख कटौती किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित विमुक्तीकरण के बाद एसईजेड के क्षेत्र की सन्निकटता बनी रहेगी। यह भी बताया गया है कि एसईजेड में एक भी यूनिट प्रचालन नहीं कर रही है। विकासक ने एसईजेड के तहत प्राप्त किए गए सभी इयूटी लाभों, रियायतों, छूटों तथा निर्यात लाभों का भुगतान करने के लिए वचन पत्र भी प्रस्तुत किया है। विमुक्तीकरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल

को दर्शाने वाला मानचित्र भी प्रस्तुत किया गया है (अनुबंध 11)। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iv) झरसुगुडा ओडिशा में एल्युमिनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का अनुरोध

झरसुगुडा ओडिशा में 166.91 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 27 फरवरी, 2009 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 16 सितंबर 2009 को 18.57 हेक्टेयर का अतिरिक्त क्षेत्रफल अधिसूचित किया गया जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 185.48 हेक्टेयर हो गया। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 35.088 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करके क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 220.568 हेक्टेयर हो जाएगा। बताया गया है कि क्षेत्रफल में वृद्धि से विकासक को अधिक इष्टतम ढंग से संयंत्र को डिजाइन करने में मदद मिलेगी। इस बात की पुष्टि की गई है कि जो भूमि उनके कब्जे में है वह खाली है, सन्निकट है तथा भारग्रस्तता से मुक्त है। उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (आईडीसीओ) द्वारा विकासक को यह भूमि पट्टा पर दी गई है। विकासक ने संगत पट्टा विलेखों की प्रतियां भी प्रस्तुत की है। मौजूदा क्षेत्रफल तथा शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल को दर्शाने वाला एसईजेड का मानचित्र भी अनुबंध 12 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(v) मणिकोंडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स एम्मार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मणिकोंडा गांव, राजेन्द्र नगर मंडल, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 10.33 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एम्मार हिल्स टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, मौजूदा क्षेत्रफल में 3.14 हेक्टेयर भूमि की वृद्धि करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 13.47 हेक्टेयर हो गया। तथापि, उक्त वृद्धि अभी तक अधिसूचित नहीं हुई है। अब विकासक ने 2.95 हेक्टेयर की भूमि को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 10.52 हेक्टेयर हो जाएगा। विकासक ने प्रस्तावित विमुक्तीकरण के कारणों के रूप में कंपनी की संशोधित व्यवसाय योजनाओं, वैश्विक आर्थिक स्थितियों तथा आईटी / आईटीईएस स्थान की आवश्यकता के लिए मांग में कमी का उल्लेख कटौती किया है। विकासक ने यह भी कहा है कि प्रस्तावित विमुक्तीकरण के बाद एसईजेड के क्षेत्र की सन्निकटता बनी रहेगी। यह भी बताया गया है कि एसईजेड में एक भी यूनिट प्रचालन नहीं कर रही है। विकासक ने एसईजेड के तहत प्राप्त किए गए सभी ड्यूटी लाभों, रियायतों, छूटों तथा निर्यात लाभों का भुगतान करने के लिए वचन पत्र भी प्रस्तुत किया है। विमुक्तीकरण के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल को दर्शाने वाला मानचित्र भी प्रस्तुत किया गया है (अनुबंध 13)। भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vi) सत्यावेदु मंडल, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश में बहु उत्पन्न एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि के मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स श्री सिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा टाडा, आंध्र प्रदेश में 1537.622 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पन्न एसईजेड अधिसूचित किया गया है। विकासक ने पहले से अधिसूचित एसईजेड में 0.5010 हेक्टेयर भूमि शामिल करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक ने कहा है कि शामिल करने के लिए प्रस्तावित भूमि खरीदी गई है तथा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र से सटी हुई और सन्निकट है। उन्होंने बिक्री विलेख तथा गैर भारग्रस्तता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है। बताया गया है कि एसईजेड के क्षेत्रफल में वृद्धि से वे अधिक उत्पादन ब्लाकों का निर्माण करने में समर्थ होंगे जिससे एसईजेड यूनिटें अपने बहुराष्ट्रीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रचालन करने में समर्थ होंगी। क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(vii) भडूच गुजरात में अधिसूचित एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध

भडूच गुजरात में बहु उत्पन्न एसईजेड 1718-93-87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 20 दिसंबर, 2006 को अधिसूचित किया गया था। 08 दिसंबर, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक को 7-98-50 हेक्टेयर के विमुक्तीकरण के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। तथापि, इस एसईजेड को अभी तक विमुक्त नहीं किया गया है। विकासक ने 06.57.84 हेक्टेयर को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है जिससे विमुक्त किए जाने के लिए कुल क्षेत्रफल 14.56.34 हेक्टेयर हो जाएगा। यह भी बताया गया है कि लखिगम गांव के कुछ सर्वे नंबर के क्षेत्रफल में कटौती / परिवर्तन के कारण 6.57.84 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करना आवश्यक है। अधिसूचित एसईजेड के एक अंश को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(viii) माधापुर, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आईटी / आईटीईएस के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में भूमि के एक अंश को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सनड्यू प्रापटीज प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

रंगा रेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में 16.29 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सनड्यू प्रापटीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किया जा रहा एसईजेड 16 अक्टूबर 2006 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने एसईजेड क्षेत्र से 6.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल को विमुक्त करने का अनुरोध किया है। विकासक ने कहा है कि आर्थिक मंदी की वजह से आईटी उद्योग की बहुराष्ट्रीय कंपनियां तथा भारतीय कंपनियां ऑफशोर परियोजनाओं के लिए निवेश को आस्थगित करने के लिए बाध्य हुई हैं, जिससे उनके द्वारा एसईजेड में कार्यालय स्थान की मांग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी कहा है कि आयकर अधिनियम के सनसेट क्लोज के तहत लाभों के विस्तार के कारण इन संस्थाओं द्वारा आकर्षक घरेलू व्यवसाय किया जा रहा है जिससे एसटीपीआई योजना (आईटी पार्क) के लिए कार्यालय स्थान की आवश्यकता बढ़ रही है। यह भी कहा गया है कि इस भूमि को विमुक्त किए जाने के बाद भी शेष क्षेत्र सन्निकट बना रहेगा तथा आईटी / आईटीईएस एसईजेड के लिए भूमि की न्यूनतम आवश्यकता पूरी होगी। विकासक ने

उक्त क्षेत्रफल के लिए एसईजेड योजना के तहत प्राप्त किए गए सभी लाभों को लौटाने का भी वचन दिया है।

यह प्रस्ताव 15 दिसंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की 37वीं बैठक के एजेंडा में मद संख्या 37.8 (viii) के रूप में पहले शामिल था। तथापि, विकासक ने अपनी मद को वापस ले लिया था। विकासक ने एक बार पुनः भूमि के कुछ अंश को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.12 : कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड द्वारा कट्टूपल्ली गांव, तिरुवल्लूर जिला, तमिलनाडु में 317.715.225 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में भारी इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 4 दिसंबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक ने कहा है कि उन्होंने सन्निकट भूमि से अधिक क्षेत्रफल का अधिग्रहण कर लिया है तथा वे अपने एसईजेड का विस्तार करना चाहते हैं ताकि प्रस्तावित एसईजेड में प्रभावी ढंग से एक शिपयार्ड और बंदरगाह स्थापित किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि 5 साल की अवधि में एसईजेड में वे 12000 लोगों के लिए रोजगार का सृजन करने की उम्मीद कर रहे हैं। एसईजेड के प्रभावी प्रचालन के लिए उन्होंने निम्नलिखित क्षेत्र में एसईजेड का विस्तार करने का प्रस्ताव किया है :

- क) विकासक के कब्जे में मौजूद तटीय भूमि जो तमिलनाडु समुद्री बोर्ड से ली गई है।
- ख) तमिलनाडु सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार पोर्ट वाटर एरिया जो विकासक द्वारा केवल पोर्ट वाटर के प्रयोग के लिए अनुमत किया गया है। यह इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आवश्यक है कि जेट्टी एरिया जहां 50 प्रतिशत से अधिक आर्थिक गतिविधियां होंगी, एसईजेड में शामिल हो। इसके बगैर एसईजेड में शिप निर्माण तथा पोर्ट प्रचालन का कार्य व्यावहारिक नहीं हो सकता है; और
- ग) एक नया ग्रीन फील्ड लघु पोर्ट स्थापित करने के लिए राजस्व भूमि।

शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित भूमि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	क्षेत्र का विवरण	हेक्टेयर		
		पत्तन के लिए क्षेत्र	शिपयार्ड के अलावा क्षेत्र	कुल योग
1.	लघु पत्तन के लिए राजस्व भूमि	126.68	शून्य	126.68
2.	तटीय भूमि	6.07	25.05	31.12
3.	जल क्षेत्र में जेट्टी के लिए क्षेत्र	46.17	61.12	107.29
4.	तरंग रोध (बीडब्ल्यू) के लिए क्षेत्र			
	• उत्तरी बीडब्ल्यू	---	10.93	21.86
		---	10.93	

	• दक्षिणी बीडब्ल्यू			
अधिसूचना के लिए कुल अतिरिक्त क्षेत्र	178.92	108.03	286.95	
4 दिसंबर, 2009 को पहले से अधिसूचित क्षेत्र	---	317.72	317.72	
विस्तार के बाद एसईजेड का कुल क्षेत्रफल	178.92	425.75	604.67	

पुष्टि की गई है कि :

- बंदरगाह एसईजेड के गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थित होगा।
- डीटीए कार्गो के निर्यात और आयात दोनों के मूवमेंट के लिए अलग निकास / प्रवेश मार्ग होगा।
- बंदरगाह को शेष एसईजेड क्षेत्र से सीमांकित किया जाएगा।
- विकासक एसईजेड अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया को लागू करेगा।

मौजूदा एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्रों के कानूनी अधिकार एवं कब्जा के प्रमाण के संबंध में भूमि दस्तावेजों की नोटरीकृत प्रतियां, गैर भारग्रस्तता प्रमाण पत्र तथा सन्निकटता, रिक्तता तथा कब्जा के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। एसईजेड में शामिल करने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शाने वाले मानचित्र के साथ विकासक के अनुरोध दिनांक 11 जनवरी 2010 की प्रति अनुबंध 14 के रूप में संलग्न है। मौजूदा एसईजेड में एक शिपयार्ड एवं पत्तन स्थापित करने के लिए क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.13: अनुमोदन को वापस लेना

(i) शिमोगा, कर्नाटक में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड को प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेना

शिमोगा, कर्नाटक में 169.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में ओटोमोटिव एवं आटो कंपोनेंट के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड को एलओए दिनांक 11 जुलाई, 2006 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके बाद विकासक के अनुरोध पर क्षेत्रफल को घटाकर 101.20 हेक्टेयर किया गया (2 जनवरी 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदित) तथा सेक्टर का नाम बदलकर इंजीनियरिंग सेक्टर किया गया (11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक द्वारा अनुमोदित)। अब विकासक ने यह कहते हुए औपचारिक अनुमोदन को वापस लेने का अनुरोध किया है कि उक्त एसईजेड में अपनी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए इंजीनियरिंग उद्योगों से भी उत्साहवर्धक प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। वस्त्र विभाग, कर्नाटक सरकार ने अब उक्त क्षेत्र में परिधान पार्क / वस्त्र पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.14: विमुक्त करने के लिए अनुरोध

(i) त्रिक्कारा उत्तर गांव, कन्याकुमारी तालुक, एर्नाकुलम जिला, केरल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए अधिसूचित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स टीसीजी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स टीसीजी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा त्रिक्कारा, एर्नाकुलम जिला, केरल में 12.141 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में जैव प्रौद्योगिकी के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 12 मई, 2009 को अधिसूचित किया गया था। अब विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए) जिसने एसईजेड के लिए यह भूमि आवंटित की थी, ने फरवरी 2009 में उन्हें यह अल्टीमेटम दिया है कि यदि परियोजना के निष्पादन से संबंधित निर्माण कार्य तुरंत शुरू नहीं होगा तो वे भूमि को अपने कब्जे में ले लेंगे। विकासक ने कहा है कि हाल के आर्थिक संकट तथा बायोटेक कंपनियों द्वारा रुचि के अभाव के कारण परियोजना के निष्पादन के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए उन्होंने केआईएनएफआरए को अभिवेदन दिया था। चूंकि केआईएनएफआरए ने अवधि नहीं बढ़ाई इसलिए विकासक भूमि लौटाने के लिए सहमत हो गया। विकासक ने कहा है कि उन्होंने उनके पक्ष में अधिकार आवंटित करके केआईएनएफआरए को एसईजेड का अंतरण करने की संभावना का पता लगाने का प्रयास किया। परंतु बाजार की स्थितियों तथा विशिष्ट लोकेशन में बायोटेक एसईजेड की लाभप्रदता के बारे में अनिश्चितता के कारण केआईएनएफआरए ने विकासक को सलाह दी है कि वे भूमि लौटाने से पूर्व एसईजेड अधिसूचना को प्रतिभारित कराएं। विकासक ने कहा है कि एसईजेड में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ है और यह कि उन्होंने एसईजेड के लिए कोई इयूटी लाभ / छूट प्राप्त नहीं की है। विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

पनवेल, महाराष्ट्र में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पनवेल, महाराष्ट्र में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड 10.69.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 10 जुलाई 2008 को अधिसूचित किया गया था। 11 अगस्त 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यह प्रस्ताव सूचीबद्ध था परंतु विकासक द्वारा इसे वापस ले लिया गया था। विकासक ने अब कहा है कि गंभीर विचार विमर्श तथा स्थान में वृद्धि के बारे में निरंतर धुंधले प्रत्युत्तर के बाद प्रबंधन ने अब एसईजेड को विमुक्त करने के लिए दृढ़ निश्चय लिया है। उन्होंने पुष्टि की है कि उनको न तो अधिकृत प्रचालनों के लिए मंजूरी प्रदान की गई है और न ही उन्होंने उक्त एसईजेड में कोई निर्माण कार्य कराया है। इस बात की पुष्टि की गई है कि एसईजेड के लिए किसी भी रूप में कोई इयूटी लाभ या छूट प्राप्त नहीं की गई है। इस बात की भी पुष्टि की गई है कि एसईजेड में एक भी यूनिट प्रचालन नहीं कर रही है। एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) शोलिंगनल्लूर एवं पेरुंबकम गांव, टंबरम तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में अधिसूचित आईटी / आईटीईएस एसईजेड को विमुक्त करने के लिए इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड (ईएलसीओटी) का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड 30 अप्रैल, 2008 को 80.81.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया था। विकासक ने यह कहते हुए एसईजेड को विमुक्त करने के लिए अनुरोध किया है कि मंदी तथा आईटी सेक्टर में धीमी प्रगति के कारण उन्होंने आईटी / आईटीईएस एसईजेड का विकास करने के प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय लिया है। यह भी बताया गया है कि ईएलसीओटी ने तमिल इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (टिडको) के सीएमडी से एक संचार प्राप्त किया है जिसमें सूचित किया गया है कि तमिलनाडु के माननीय उप मुख्य मंत्री ने उपर्युक्त लोकेशन पर औद्योगिक विभाग की मांग पर वित्तीय सिटी तथा मीडिया मनोरंजन पार्क स्थापित करने की घोषणा की है और तदनुसार टिडको के पक्ष में एसईजेड भूमि के परकीयाकरण के लिए सहमति प्रदान करने हेतु ईएलसीओटी से अनुरोध किया है। एसईजेड को विमुक्त करने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.15: संस्पर्श में छूट

(i) संस्पर्श तथा अनेक प्रवेश / निकास द्वारों के संबंध में एलओए की शर्तों में ढील देने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में बहु उत्पन्न एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स नवी मुंबई एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड को एलओए दिनांक 30 जुलाई 2007 के माध्यम से औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। उपर्युक्त एसईजेड 1233.6767 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में 21 नवंबर 2007 को अधिसूचित किया गया था। 5 नवंबर 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विकासक के निम्नलिखित अनुरोध पर विचार किया गया :

- क) सन्निकटता सुनिश्चित करने के लिए मूलतः लगाई गई शर्त में ढील देना;
- ख) अंडर पास के निर्माण की शर्त में ढील देना, जिसके लिए उन्होंने ग्राउंड पर सुरक्षित संपर्क का सुझाव दिया है और
- ग) द्रोणगिरि, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में उनके बहु उत्पन्न एसईजेड में 7 मल्टी इंटी / एग्रीजट प्वाइंट के निर्माण के लिए अनुमोदन (उपर्युक्त ख के माध्यम से मांगी गई छूट को ध्यान में रखते हुए);
- घ) प्रसंस्करण क्षेत्रों के बीच सन्निकटता स्थापित करने के लिए फ्लाइओवर के स्थान पर दो स्काई वाक को मंजूरी प्रदान करना।

अनुमोदन बोर्ड द्वारा यह अनुरोध किया गया कि 2000 हेक्टेयर की सन्निकट भूमि प्राप्त करना बहुत लंबा आर्डर है। आर्थिक मंदी के इन दिनों में यह आवश्यक है कि इस प्रमुख अवसंरचना में निवेशक का हित बना रहे। यह उचित होगा कि मुद्दे का समाधान वार्ता के माध्यम से किया जाए। तदनुसार अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि एसईईपीजेड के विकास आयुक्त तथा नवी मुंबई एसईजेड के विकास आयुक्त व्यवहार्य समाधान की तलाश करने के लिए मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई के साथ बैठक करें।

मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त की टिप्पणियां / रिपोर्ट अनुबंध 15 के रूप में संलग्न है। विकासक को टिप्पणियां संप्रेषित की गईं जिसने अब सभी अतिरिक्त ब्यौरे एवं स्पष्टीकरण तथा

मुख्य सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा विकासक को सुझाए गए संशोधनों का अनुपालन प्रस्तुत करते हुए विस्तृत बिंदुवार कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान की है। विकासक द्वारा प्रदान की गई कृत कार्रवाई रिपोर्ट की प्रति अनुबंध 16 के रूप में संलग्न है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स इफको किसान एसईजेड लिमिटेड (आईकेएसईजेड) द्वारा नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित बहु उत्पाद एसईजेड की सन्निकटता में छूट के लिए अनुरोध

एलओए दिनांक 5 मई 2008 के माध्यम से नेल्लौर जिला, आंध्र प्रदेश में 1023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए इफको किसान एसईजेड लिमिटेड (आईकेएसईजेड) को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी। 02 जनवरी, 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड के भूमि क्षेत्र की सन्निकटता नहीं है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा विभाजित है। अनुमोदन बोर्ड को यह भी सूचित किया कि एसईजेड का प्रसंस्करण क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ओर होगा और राष्ट्रीय राजमार्ग के दूसरी ओर गैर प्रसंस्करण क्षेत्र होगा। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों के अधीन औपचारिक मंजूरी प्रदान की :

- (i) विकासक संशोधित तिथि 16 मार्च 2007 से पूर्व एसईजेड नियमावली के प्रावधान के अनुसार समर्पित सुरक्षा फाटकों / ओवर ब्रिज / अंडर पास द्वारा सन्निकटता स्थापित करेगा तथा 2.4 मीटर ऊंची दीवार / चैन लिंक फेंसिंग जिसके शीर्ष 0.6 मीटर पर कटीले तार की फेंसिंग होगी, के साथ प्रसंस्करण क्षेत्र के सामने वाली रोड के दोनों ओर फेंसिंग भी करेगा।
- (ii) सन्निकटता स्थापित करने के लिए उठाए गए कदमों के लिए कोई कर लाभ उपलब्ध नहीं होगा।
- (iii) संपूर्ण प्रसंस्करण क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ओर स्थित होगा।

विकास आयुक्त, वीएसईजेड ने अधिसूचना के लिए निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित की है तथा एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करने के संबंध में निम्नलिखित जानकारी प्रदान की है :

- (i) विकासक ने एसईजेड भूमि की सन्निकटता स्थापित करने के लिए ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए एनएचएआई से संपर्क किया है। एनएचएआई के इंजीनियरों के परामर्श से प्रस्तावित ओवर ब्रिज के लिए स्थान को अंतिम रूप दे दिया गया है।
- (ii) एनएचएआई ने सूचित किया है कि उन्होंने विकासक से डिजाइन, ड्राइंग तथा लागत अनुमान प्रस्तुत करने के लिए कहा है। विकासक द्वारा एनएचएआई को यह प्रस्तुत हो जाने पर वे अनुमोदन के लिए इसे प्रोसेस करेंगे तथा विकासक से निर्माण शुरू करने के लिए अपेक्षित धनराशि जमा करने के लिए कहा जाएगा। निधियां जमा होने पर निर्धारित अनुसूची के अनुसार एनएचएआई द्वारा ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू किया जाएगा।

- (iii) विकासक ने सूचित किया है कि उन्होंने ओवर ब्रिज के लिए डिजाइन, ड्राइंग और लागत अनुमान हेतु परामर्श सेवाओं के लिए कार्य आदेश सौंपा है तथा डिजाइन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रस्तुत करने में परामर्शदाता को 3 माह लगेंगे।
- (iv) विकासक ने यह वचन दिया है कि वे एनएचएआई को अपेक्षित धनराशि जमा करेंगे तथा एनएचएआई से अनुमान एवं अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद कार्य आरंभ करेंगे। अनंतिम अनुमान 8.00 करोड़ करोड़ रुपए है।
- (v) एसईजेड के लिए कुल परियोजना क्षेत्र एनएच 5 के दोनों ओर स्थित है। एनएच 5 के पश्चिम में क्षेत्रफल 762 हेक्टेयर है तथा एनएच 5 के पूरब में क्षेत्रफल 261 हेक्टेयर है और इस प्रकार इसका कुल क्षेत्रफल 1023 हेक्टेयर है। इस प्रकार प्रासंगिक अनुदेशों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ओर एसईजेड के संपूर्ण प्रसंस्करण क्षेत्र को स्थित करना संभव है। यह इस शर्त को भी पूरा करता है कि एसईजेड का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल प्रसंस्करण क्षेत्र होना चाहिए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन बोर्ड से यह अनुरोध किया गया है कि वे एसईजेड के अधिसूचित होने से पूर्व सन्निकटता की शर्त में छूट प्रदान करें।

(iii) सन्निकटता में छूट के लिए मैसर्स वेलगो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड, हरियाणा का अनुरोध

मैसर्स वेलगो बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड को 20 मार्च 2008 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में बाबरा बंकीपुर, तहसील एवं जिला गुड़गांव, हरियाणा के राजस्व गांव में इलेक्ट्रानिक्स / आईटी एवं आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई थी तथा यह शर्त रखी गई थी कि अधिसूचना तभी जारी की जाएगी जब स्पष्ट स्वामित्व एवं कब्जा के साथ राजस्व के रिकार्डों में भूमि का विभाजन हो जाएगा। 21 अप्रैल, 2008 को एलओए जारी किया गया था। विकासक ने सूचित किया है कि अब भूमि कंपनी के नाम में तकसीम हो गई है। विकासक ने यह भी सूचित किया है कि राजस्व संख्या 39/2/2 (0-8) और 39/3/2/2 (0-8) में पड़ने वाले दो निजी रास्ते जो एसईजेड की परियोजना भूमि से गुजरते हैं, का स्वामित्व संयुक्त रूप से कंपनी / सहयोगियों तथा निजी व्यक्तियों के हाथ में है। यह भी बताया गया है कि निजी रास्ते राजस्व रास्ता नहीं हैं और ये आम जनता के लिए आने जाने के लिए नहीं हैं तथा केवल भूमि स्वामियों के निजी प्रयोग के लिए हैं। विकासक ने एक मानचित्र प्रस्तुत किया है जिसमें शिजरा प्लान में निजी रास्तों को 'ए' और 'बी' के रूप में दर्शाया गया है (अनुबंध 17)। विकासक ने कहा है कि इन निजी रास्तों के संयुक्त स्वामियों ने एसईजेड की सन्निकटता स्थापित करने के लिए उक्त निजी रास्तों में अंडरपास के निर्माण के लिए अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है। यह भी बताया गया है कि ये निजी रास्ते इन व्यक्तिगत भूमि स्वामियों के लिए बने रहेंगे ताकि वे अपनी भूमि पर जा सकें और संपूर्ण एसईजेड भूमि की सन्निकटता स्थापित करने के लिए भी यह विकास के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने सन्निकटता के मानदंडों में छूट प्रदान करने तथा दो अंडरपास के माध्यम से जोड़ने के लिए प्रस्तावित एसईजेड भूमि को एसईजेड के

प्रयोजनार्थ सन्निकट मानने का अनुरोध किया है। विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.16: सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाना

सैद्धांतिक अनुमोदन की दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश / मानदंड 15 जनवरी 2009 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अनुमोदित किए गए :

एसईजेड का प्रकार	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (1)	दूसरी बार अवधि बढ़ाने की शर्तें (2)
न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता वाले आईटी / आईटीईएस / रत्न एवं आभूषण / बायोटेक / गैर परंपरागत ऊर्जा एसईजेड आदि तथा स्टैंड एलॉन एफटीडब्ल्यूजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	ऐसे मामलों में दूसरी बार अवधि बढ़ाई नहीं जाएगी।
उपर्युक्त से भिन्न क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 60 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए
बहु उत्पाद	अपनी 12वीं बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई शर्तें	पहली बार अवधि बढ़ाने की शर्तें लागू होंगी। इसके अलावा विकासक द्वारा 50 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण / कब्जा होना चाहिए

2. यह भी निर्णय लिया गया कि जिन मामलों में उपर्युक्त मापदंड पूरे नहीं होंगे उनको अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(i) श्रेणी 1 के मामले जो उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करते हैं

निम्नलिखित मामला उपर्युक्त मापदंडों को पूरा नहीं करता है तथा दूसरी बार अवधि बढ़ाने के लिए अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है :

क्र. सं.	विकासक का नाम	सेक्टर और क्षेत्र	एसईजेड का लोकेशन	सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता समाप्त होने की तिथि को विकासक के कब्जे में भूमि का प्रतिशत
1.	रीवा इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स इस्पाट इंडस्ट्रीज	बहु उत्पाद, 1012 हेक्टेयर	रायगड, महाराष्ट्र	एलओए दिनांक 07 जनवरी, 2008 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को पहला समय विस्तार भी प्रदान किया गया था जो 22 जनवरी, 2010 को समाप्त हो गया

	लिमिटेड)		है। विकासक ने कहा है कि 53.914 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है तथा 9 से 10 माह में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए विकासक ने एक साल के लिए वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि विकासक अधिग्रहण प्रक्रिया की सभी औपचारिकताएं पूरी कर सके और परियोजना कार्यान्वित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सके। इस मामले में विकासक ने 25 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है।
--	----------	--	--

मद संख्या 38.17 : एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) एलओपी के पुनः नवीकरण के लिए मैसर्स प्लास्टोलीन पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड, फाल्टा एसईजेड में यूनिट का अनुरोध

प्लास्टिक अपशिष्ट / स्क्रेप के प्रसंस्करण तथा प्लास्टिक के अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए मैसर्स प्लास्टोलीन पोलिमर्स प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। एलओपी 28 फरवरी, 2010 तक वैध है। यूनिट ने बताया है कि कारखाने में भयावह आग लग जाने के कारण 26 माह तक यूनिट क्रियाशील नहीं थी। यूनिट ने निम्नलिखित के लिए अनुरोध किया है :

क) अगले 5 साल के लिए अर्थात् 28 फरवरी 2015 तक एलओपी की अवधि बढ़ाना

ख) यूनिट में आग लग जाने के कारण एनएफई की गणना के प्रयोजनार्थ अप्रैल 2007 से मई 2009 तक की 26 माह की अवधि की गणना न करना।

यूनिट का अनुरोध अनुबंध 18 के रूप में संलग्न है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.18 : महिंद्रा वर्ल्ड सिटी, चेंगलपट्टूर, चेन्नई में आईटी, हार्डवेयर और बायो इनफार्मेटिक्स के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक असंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड में धारित 26 प्रतिशत इक्विटी के विनिवेश के लिए मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध

महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा उपर्युक्त एसईजेड 265.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में अधिसूचित किया गया है। मैसर्स असंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड जो महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डवलपर्स लिमिटेड (एमडब्ल्यूसीडीएल) का मैसर्स असंडास लैंड प्राइवेट लिमिटेड (एएलआई) के साथ संयुक्त उद्यम है जिसमें एमडब्ल्यूसीडीएल 26 प्रतिशत इक्विटी का धारक है, को एलओए दिनांक 5

सितंबर 2007 के माध्यम से एलओए के रूप में अनुमोदित किया गया था। मैसर्स एमडब्ल्यूसीडीएल ने कहा है कि एएलआई ने भूमि का अधिग्रहण करने तथा असंडास महिंद्रा आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड (एमएमआईटीपीएल) के 100 प्रतिशत शेयर का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए रुचि प्रदर्शित की है तथा इसलिए एएमआईटीपीएल में कंपनी द्वारा धारित 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर के विनिवेश के लिए अनुमोदन मांगा गया है। एमडब्ल्यूसीडीएल के अनुरोध की प्रति अनुबंध 19 के रूप में संलग्न है। अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.19 : 31.49.66 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चंडीगढ़, पंजाब में चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा विकसित क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में मैसर्स इनफोसिस टेक लिमिटेड नामक यूनिट के प्रचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 25 सितंबर 2009 को अपर सचिव श्री डी के मित्तल की अध्यक्षता में बैठक हुई।

मैसर्स इनफोसिस टेक लिमिटेड के प्रचालन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 25 सितंबर 2009 को अपर सचिव श्री डी के मित्तल की अध्यक्षता में बैठक हुई। उक्त बैठक का कार्यवृत्त अनुबंध 20 के रूप में संलग्न है। इसके बाद एसईजेड के संबंध में राजस्व विभाग द्वारा कुछ मुद्दे उठाए गए हैं (अनुबंध 21)। राजस्व सचिव द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विकास आयुक्त की टिप्पणियां अनुबंध 22 के रूप में संलग्न हैं। इस मामले में निर्णय के लिए मामला अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.20 : एसईजेड ने प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

एसईजेड में प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए यूनिट स्थापित करने की नीति पर चर्चा करने के लिए श्री अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 7 जनवरी 2010 को बैठक हुई। बैठक का कार्यवृत्त अनुबंध 23 के रूप में संलग्न हैं। सूचना / अनुमोदन के लिए बैठक का कार्यवृत्त अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 38.21 : राज्य अधिनियमों एवं नियमों के तहत विकासक तथा यूनिट को एकल बिंदु क्लियरेंस प्रणाली प्रदान करना

एसईजेड नियम 5 (5)(ज) में यह प्रावधान है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए किसी प्रस्ताव की सिफारिश करने से पूर्व राज्य सरकार यह प्रयास करेगी कि राज्य में एसईजेड की प्रस्तावित यूनिटों एवं विकासकों के लिए राज्य अधिनियमों एवं नियमों के तहत एकल बिंदु क्लियरेंस प्रणाली उपलब्ध हो। तथापि, इस प्रावधान के बावजूद अनेक राज्य सरकारों ने एकल खिड़की तंत्र की प्रणाली प्रभावी ढंग से स्थापित नहीं की है। इस प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुझाव है कि ऐसी राज्य सरकारों से अनुमोदन बोर्ड के समक्ष कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए जिन्होंने एकल खिड़की तंत्र की प्रणाली प्रभावी ढंग से स्थापित नहीं की है। यह नए अनुमोदनों पर तथा औपचारिक अनुमोदन या सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि बढ़ाने के अनुरोधों पर भी लागू होगा।

